



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2010/चैत्र 10, 1932

No. 160]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2010/CHAITRA 10, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

सा.का.नि. 274(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के अनुपालन में और भारत सरकार के पहले के पोत परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोत परिवहन विभाग के पत्तन स्कंध की दिनांक 19 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 194(अ) और दिनांक 13 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 22(अ) के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्वारा निर्दिष्ट करती है, जिन्हें दिनांक 1-4-2010 से 31-3-2012 तक की अवधि के लिए कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में उक्त तालिका के कॉलम (2) में दिए गए हितों का प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए नियुक्त किया जाना है :

तालिका

क्रम सं.	प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
2.	समुद्री वाणिज्य विभाग	1
3.	सीमा-शुल्क	1
4.	गुजरात की राज्य सरकार	1
5.	पोत परिवहन मंत्रालय	1
6.	रक्षा सेवाएँ	1
7.	भारतीय रेल	1
8.	तट रक्षक	1
9.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	5
10.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	3
	कुल	17

[फा. सं. 18011/10/2009-पी.टी.]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

G.S.R. 274(E).— In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Ports Wing) No. G.S.R. 194(E), dated 19th March, 2008 and G.S.R. 22(E), dated 13th January, 2009, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla for the period from 1-4-2010 to 31-3-2012 :

TABLE

S. No.	Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Mercantile Marine Department	1
3.	Department of Customs	1
4.	State Government of Gujarat	1
5.	Ministry of Shipping	1
6.	Defence Services	1
7.	Indian Railways	1
8.	Coast Guard	1
9.	Other Interest as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of Major Port Trusts Act, 1963	5
10.	Other Interest as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of Major Port Trusts Act, 1963	3
	Total	17

[F. No. 18011/10/2009-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.